

यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम


फर्द अहकाम

मु.नं. 01/18 तारीख रज् 5-1-18

उत्तमान - देवी लक्ष्मणबेनाम बालकिशनमीनाको
सांकरनाडा

अपील विरुद्ध नामा सं 174 दिनांक 20-6-2004
पार 82 RTA-1956

अपीलार्थी की ओर से श्री महेशकुमारशर्मा एडवोकेट ने
अपील विरुद्ध आदेश नं. सं 174 दिनांक 20.6.2004
ग्राम सांकरनाडा बालकिशन पुत्र नानगराज की पेश
की। नामा का अवलोकन किया गया। अपील प्रार्थना पत्र
दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को जीरिये नोटिस से तलब
कर दिनांक 16-1-18 को पेश है।



जयदीप आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

186-75
5-1-18




16-1-18

वकील अफीलाट उपाय। रज्. नं. 174 में नोटिस
प्राप्त करने से इका फिया थी लाफील मानी जाती थी
इके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते
थे। रज्. नं. 8 के नोटिस अरम लभील प्राप्त हुआ था
वकील अफीलाट इका रजि. नं. 18 नोटिस तलवाना पेश
कर। रजि. नं. 18 नोटिस तलवाना पेश करने पर तलबी
जारी कर। दि. 14-2-18 को पेश है।

14-2-18 - वकील अफीलाट उपाय। वकील द्वारा तलवाना पेश
किया। तलबी नोटिस जारी कर दिनांक 7-3-18 को पेश है।

735
16-2-18

न्यायालय उप जिला कलेक्टर

दिनांक	फर्द अहकाम
5.2.21 576 8-2-21	वकील इन्पीलांट उपर। मूल नामा० तलब के। पत्राव ली डि० 1.3.21 को पेश हो। 
1.3.21	वकील इन्पीलांट उपर। जिला दायलिय से शाब मूल नामा० संख्या 74 दिनांक 28.6.2004 प्राप्त होने पर शामिल किया। वास्ते वहस डि० 23.3.21 को पेश हो। 
23.3.21	वकील इन्पीलांट उपर। वदय सुनी गई वदय पर मतन किया गया पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का मूल इवलोडन किया गया। नामा० सं० 74 दिनांक 28.6.2004 ग्राम पंचायत साकवाडा का खारिज करके एवं पुन सुनवाई कर विरामत का नामांतरण दर्ज चुके हुए रिमांड किया जाना उपर पत्रा है इस नामांतरण का 74 दिनांक 28.6.2004 खपरिफ किया जाता है रिमांड किया जाने हेतु विरामत निर्णय प्रथम से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया निर्णय ही प्रति पालना हेतु तहसीलदार टोडाभीम को मूल नामांतरण के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फाइल सुमार नम्बर से बंध होकर दाखिल पत्र हो।  (दुर्गा प्रसाद मीजा) उपजण्ड अधिकारी टोडाभीम जिला-करौली